राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

No. UDH/spl/1 Date: 30/03/2020

प्रेषित

आयुक्त प्राधिकरण एवंसचिव नगर विकास न्यास

समस्त।

विषय: कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु श्रमिकों को यथा स्थान रखने संबंधी।

महोदय,

जैसा की आपको विदित है पुरा राष्ट्र और विश्व कोरोनावायरस संकट से लड़ रहा है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार इस महामारी से निपटने का सबसे कारगर तरीका यही है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जो श्रमिक फैक्ट्री अथवा प्रोजेक्ट बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हो गए हैं उन्हें उसी स्थान ही रखा जाना आवश्यक है। परंतु बहुत सारे श्रमिक अपने-अपने गृह-स्थान पर जाने के लिए बेकरार है। इन श्रमिकों को अपने स्थान पर ही रुकने के लिए कारगर उपाय यह रहेगा कि वह जहां भी है वहीं उनके भोजन का विश्वसनीय प्रबंध हो और उनके मजदूरी का लंबित भुगतान शीघ्र अति शीघ्र हो। परंतु कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया कि संबंधित ठेकेदारों द्वारा अपनी-अपनी साइट्स बंद कराकर इन श्रमिकों को अपने भरोसे ही छोड़ दिया गया है। कृपया प्राधिकरण/न्यास द्वारा क्रियान्वित प्रोजेक्ट्स तथा निजी बिल्डर्स द्वारा क्रियान्वित हो रहे प्रोजेक्ट्सकी सूची मय श्रमिकों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए, ताकि जिला प्रशासन द्वारा उनको उसी स्थान रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था यथा भोजन का प्रबंध और उनके ठेकेदार द्वारा उनके मजदूरी का भुगतान आदि सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही वह जिस साइट पर रह रहे थे उसी साइट पर उन्हें अग्रिम आदेश तक निवास करने की अनुमति भी मिले यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। कृपया इस संबंध में अपने अभियंताओं को उचित निर्देश प्रदान कराकर पालना सुनिश्चित करें।

भास्कर सावंत

प्रमुख शासन सचिव

नगरीय विकास एवंआवासन विभाग।

Scanned with CamScan